2014/00126 आ० नं० 1/12

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

15/12

-: सरवरक :-

9/2

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B' Form No. 8] 13/4

25/5

1 नाम अदालत ~~उपखण्ड अधिकारी (SDO) गुलाबपुरा~~

10/8

2 किस्म मुकदमा वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88-188 रा०का० 12/10

3 अनवान मुकदमा गोपी पिता गम्भीर गुर्जर नि० मेरुखेडा बनाम रामकरण पिता भागीरथ गुर्जर, मेरुखेडा 7/12

4 नम्बर व सन् मुकदमा 299/2014 8/2

4/4

5 तारीख दायरा 18/11/2014

9/5

6 तारीख फैसला 5/6/2017 25/7

22/10

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना

19/12

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला

16/1

9 किस्म मिसल या हिस्सा 20/2

3/4

10 किस्म रेकार्ड

~~24/4~~

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है 8/5

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया

13 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया

14 (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ किया गया

पी. मो. [illegible]

श्री गोपाल अजमेरा

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम-ऊ)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0), गुलाबपुरा जिला भीलवाडा

गोपी पिता गंभीरा जाति गुर्जर वगैराह नि–मैरूखेडा — बनाम — रामकरण पिता भागीरथ गुर्जर वगैराह नि–मैरूखेडा

किस्म मुकदमा–वादपत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 रा0टि0ए0 — प्रकरण संख्या–299/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.2017	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट आंगूचा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये। जिनके द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात मोडा पिता भैरू के खातेदारी की आराजियात है जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण वारिसान है तथा मोडा की आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वकील उभयपक्ष के द्वारा कथन किया गया कि वादी संख्या–06 से लगायत 11 एवं प्रतिवादी संख्या–01 से 04 तक के मौके पर काबिज अनुसार उनके खाते में वादग्रस्त आराजियात दर्ज करवाई जावें जिससे दोनों पक्ष एवं उनके अधिवक्ता के द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गई। उभयपक्ष के कथनो के अनुसार पक्षकारान के मौके पर काबिज अनुसार मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब किये जाने पर पटवारी हल्का के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का के मौके की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मैरूखेडा पटवार हल्का आंगूचा द्वितीय की आराजी नम्बर–4835 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर रामेश्वर पिता हरजी, हीरू, रसाल, सायरी पुत्रियां हरजी गुर्जर, लादू बेवा हरजी 1/2 हक हिस्से पर तथा रामकरण पिता भागीरथ गुर्जर 1/2 हक हिस्से पर, तथा आराजी नम्बर–4851 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर रामदेव, दुर्गालाल, पप्पूलाल, लालाराम पिता रूघनाथ, रूकमा बेवा रूघनाथ, कन्या पुत्री रूघनाथ गुर्जर का कब्जाकाश्त होना बताया गया है जिससे पक्षकारान के द्वारा भी सहमति व्यक्त किया जाना प्रकट आया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 मौजा मैरूखेडा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर–4835, 4851किता–02 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा भूमि मोडा पिता भैरू कौम गुर्जर सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। चूंकि मृतक खातेदार मोडा लाऔलाद फौत हुआ है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिसान होकर लोक अदालत की भावना से मौके पर काबिज अनुसार भूमि की हक घोषणा के लिये सहमति व्यक्त की गई है। तदनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

–:निर्णय:–

दावावादी लोक अदालत की भावना से डिकी किया जाकर मौजा भैरूखेडा पटवार हल्का आगुचा द्वितीय तहसील हुरडा की आराजी नम्बर–4835 रकबा 02 बीघा, 13 बिस्वा भूमि के लिये रामेश्वर पिता हरजी, हीरू, रसाल, अमरी पुत्रियां हरजी, 1/2, रामकरण पिता भागीरथ 1/2, तथा आराजी नम्बर–4851 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा के लिये रामदेव, दुर्गालाल, पप्पुलाल, लालाराम पिता रूघनाथ, रूकमा बेवा रूघनाथ, कन्या पुत्री रूघनाथ गुर्जर निवासियान भैरूखेडा को खातेदार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकार्ड इन्द्राज किया जावें। डिकी पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट आंगूचा में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner